न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 16 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रूपा पुत्र सदा 2. जेठा पुत्र सदा 3. भारू पुत्र सदा 4. मूला पुत्र सदा 5. मेहरा पुत्र सदा 6. माना पुत्र सदा 7. नवला पुत्र सदा जाति जाट निवासी नई कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाडमेर		1. पुराराम पुत्र गोधूराम 2. पुरखाराम पुत्र गोधूराम 3. वेहनाराम पुत्र गोधूराम 4. हुकमाराम पुत्र गोधूराम 5. सन्तोष पुत्र कालूराम 6. लखपति पुत्र कालूराम 7. मगीदेवी पत्नी कालूराम 8. शान्तिदेवी पत्नी हनुमानराम 9. नरेन्द्र पुत्र हनुमानराम 10 पेमी पत्नि गगाराम 11. टिकुराम पुत्र गगाराम 12. जुगताराम पुत्र गगाराम – 13. मूलाराम पुत्र थानाराम 14. जुजाराम पुत्र डालूराम 15. टीकूराम पुत्र डालूराम 16. जोगाराम पुत्र डालूराम 17. मेधाराम पुत्र डालूराम 18. देराज पुत्र पदमाराम 19. राजुराम पुत्र पदमाराम 20. पाबूराम पुत्र जेरामाराम 21. लिखमाराम पुत्र खगाराराम 22. हनुमान पुत्र पीराराम 23. उमाराम पुत्र खगाराराम जातियान जाट निवासी कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 24. तहसीलदार सिणधरी 25. राउराम पुत्र लच्छाराम 26. मोटाराम पुत्र लच्छाराम 27 हुकमाराम पुत्र लच्छाराम के वारीसान 27 / 1 पुरखाराम पुत्र हुक्माराम 27 / 2 पुराराम पुत्र हुकमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

27/3 वेहनाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी
कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक –13.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा नई कमठाई पटवार हल्का कमठाई में खसरा संख्या 98 रकबा 108.10 बीघा खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा नई कमठाई पटवार हल्का कमठाई में खसरा संख्या 98 रकबा 108.10 बीघा खातेदारी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा नई कमठाई पटवार हल्का कमठाई में खसरा संख्या 98 रकबा 108.10 बीघा खातेदारी आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नई कमठाई पटवार हल्का कमठाई में खसरा संख्या 98 रकबा 108.10 बीघा खातेदारी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा नई कमठाई पटवार हल्का कमठाई में खसरा संख्या 98 रकबा 108.10 बीघा खातेदारी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2073–2076 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नई कमठाई पटवार हल्का कमठाई में खसरा संख्या 98 रकबा 108.10 बीघा खातेदारी के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी